

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए सत्र-2026-27 में संचालित
आवासीय विद्यालयों में छीजन (Drop Out) के तहत संभावित रिक्तियों के विरुद्ध कक्षा 2 से 9 में
नामांकन की सूचना :

आवेदक के माता/पिता या अभिभावक की कोई आय सीमा नहीं है।



डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में कक्षा 2 से 9 में नामांकन हेतु
आवेदन प्रपत्र (शैक्षणिक सत्र-2026-27)

आवेदक का नाम:-

फोटो यहाँ
चिपकाए

पिता/अभिभावक का नाम:-

गृह जिला:-..... ब्लॉक:-.....

पता:-.....

पिन कोड:-..... मोबाईल नं०:-.....

कक्षा (जिसमें नामांकन चाहते हैं, कक्षा-2 से 9):-.....

जन्म तिथि:-

लिंग (जो लागू हो उसे ✓ करें) 1. महिला- ☐ 2. पुरुष- ☐

कोटि (जो लागू हो उसे ✓ करें)

1 अनुसूचित जाति (SC) में मुसहर/भुईयों समुदाय से संबंधित- ☐

2 अनुसूचित जाति (SC) में अस्वच्छ कार्य में लगे परिवारों से संबंधित- ☐

3 अन्य अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित- ☐

4 अनुसूचित जनजाति (ST) में PVTG* समुदाय से संबंधित- ☐

5 अन्य अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित- ☐

नामांकन हेतु विद्यालय की प्राथमिकता

विद्यालय का जिला:-

विद्यालय का नाम:-

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी सही है और मेरे पुत्र/पुत्री आवासीय विद्यालय में अनुशासन में रहकर विद्यालय के नियमों का पालन निष्ठापूर्वक करेगा/करेगी। साथ ही मेरे पुत्र/पुत्री का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी भी अन्य आवासीय विद्यालय में नामांकन/स्थानान्तरण होने पर मेरी पूर्णरूपेण सहमति होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

अभिभावक का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

आवेदक का नाम एवं पता:-

आवेदन सं०:-

आवेदन प्राप्ति की तिथि:-

जिला कल्याण कार्यालय का नाम:-

हस्ताक्षर

परीक्षा हेतु आवश्यक सूचना

(क) विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्ग-2 से 5 में नामांकन "ऑनलाइन लॉटरी पद्धति" तथा कक्षा-6, 7, 8 एवं 9 में नामांकन लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर होगा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा 100 अंक की होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा: हिन्दी-20 अंक, अंग्रेजी-20 अंक, गणित-20 अंक, विज्ञान-20 अंक, तथा समाजिक विज्ञान-20 अंक)। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी।

(ख) आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु 01.04.2026 को आयु सीमा वर्ग-2, 3, 4, 5 एवं 6 के लिये आयु क्रमशः (7-8 वर्ष), (8-9 वर्ष), (9-10 वर्ष), (10-11 वर्ष), (11-12 वर्ष), वर्ग-7 (12-13 वर्ष), वर्ग-8 (13-14 वर्ष) एवं वर्ग-9 के लिए (14-15 वर्ष) होनी चाहिए।

(ग) (i) आवेदन विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन समर्पित किया जा सकता है।

(वेबसाइट:-<https://state.bihar.gov.in/scstswelfare>)

अथवा

(ii) विहित प्रपत्र में आवेदन हस्तलिखित या टंकित प्रति में अपने जिला के जिला कल्याण कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

(घ) कक्षा-6 से 9 में परीक्षा उपरांत चयनित छात्र/छात्रा को अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी भी आवासीय विद्यालय में नामांकन करने की अनुशंसा की जाएगी।

(च) **आवश्यक दस्तावेज**— 1. जन्म प्रमाण पत्र 2. जाति प्रमाण पत्र 3. आवासीय प्रमाण पत्र 4. आधार कार्ड (वैकल्पिक) 5. कक्षा 2 से 9 में नामांकन के लिए पिछले कक्षा का उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज सक्षम प्राधिकार से निर्गत होनी चाहिए।

(छ) नामांकन रिक्ति की सूचना एवं विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिला के जिला कल्याण कार्यालय में संपर्क करें या विभाग के वेबसाइट देखें।

(वेबसाइट:-<https://state.bihar.gov.in/scstswelfare>)

नोट:-

1. डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनु० जाति आवासीय विद्यालयों में कुल स्वीकृत छात्र बल का अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए 10 प्रतिशत एवं डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए कुल स्वीकृत छात्र बल का 10 प्रतिशत सीट आवंटित किया जायेगा तथा डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनु० जाति आवासीय विद्यालयों में 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्र नहीं मिलने पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन एवं डॉ० भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्र नहीं मिलने पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन किया जायेगा।

2* वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में असुर/बिरहोर/बिरजिया/कोरवा/माल पहाड़िया/सौरिया पहाड़िया/परहिया/सावर PVTG हैं।

आवेदन प्रक्रिया की तिथि

आवेदन पत्र आमंत्रण:-	30.06.2026 से 11.07.2026
प्रवेश-पत्र प्राप्ति:-	22.07.2026 से 25.07.2026
परीक्षा की तिथि:-	02.08.2026 (रविवार)
परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि:-	10.08.2026
नामांकन की तिथि:-	17.08.2026 से 21.08.2026
कक्षा प्रारंभ होने की तिथि:-	नामांकन की तिथि से

निदेशक

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।